तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कमला देवी आदि बनाम बतुलादेवी आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर —55 / 2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.2022	पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित । बहस सुनी गयी । वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के नाम से चक 274—200 आरडी के मु0नं0 9/62 के किला नम्बर 8 तादादी 1 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 11ता13 तादादी 3 बीघा कमांड, किला नम्बर 17ता19 तादादी 3 बीघा कमांड, किला नम्बर 22 तादादी 1 बीघा कमांड कुल तादादी 8 बीघा कमांड खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण के मु0नं0 9/62 तादादी 8 बीघा कमाड की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं हैं। जिसके कारण प्रार्थीगण अपनी भूमि में आ—जा नहीं सकते। प्रार्थीगण के पूर्व दिशा में नजदीक में चक 272 आर.डी. के मु0नं0 29/6 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में सरकारी कटानी रास्ता उत्तर से दक्षिण हैं। ग्रेवल सड़क मौका पर चल रही हैं। प्रार्थीगण के इस से नजदीक में और कोई कटानी रास्ता नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 274—200 आरडी के मु0नं0 9/62 के किला नम्बर 8 तादादी 1 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 11ता13 तादादी 3 बीघा कमांड, किला नम्बर 17ता19 तादादी 3 बीघा कमांड, किला नम्बर 22 तादादी 1 बीघा कमांड कुल तादादी 8 बीघा कमांड खातेदारी भूमि है प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के किला नम्बर 16 में पूर्व से पश्चिम दक्षिण दिशा में 02 बिस्वा रास्ता कटवाना चाहते है जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में आसानी से आ सकते है प्रार्थीगण के पास आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। जिसके कारण प्रार्थीगण को अपने खेत में आने—जाने में असुविधा हो रही हैं। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा मु0नं0 9/62 के किला नम्बर 16 में 02 बिस्वा पूर्व से पश्चिम, पासा दक्षिण दिशा में कानूनी रास्ता आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा पेश पैरावार जवाब प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दौहराते हुवे निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पैतृक भूमि हैं। जो प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई हैं। प्रार्थीगण की उपरोक्त पैतृक भूमि के मुरब्बा नम्बर 9/62 के किला नम्बर 25 स्वीकृत रास्ते से चिपता हुआ स्थित है। जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि किला नम्बर 24 व 25 से हाते हुए अपनी ढाणी में पुराने समय से आवागमन करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण का यह कथन की प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का कोई कटानी रास्ता नहीं है मिथ्या कथन हैं। उपरोक्त भूमि का खाता विभाजन किया तब अन्य हिस्सेदारों द्वारा प्रार्थीगण को मु0नं0 9/62 के कि0नं0 25,24 में से रास्ता दिया गया जो आज भी मौके पर चल रहा हैं। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वेग, मिथ्या एवं बनावटी कथनों पर आधारित होने से मय कॉस्ट खारिज फरमाया जावे। राज पैरोकार द्वारा जवाब में कहा गया की स्वीकृत किये जाने वाला रास्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य का है राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं हो रहा हैं। हमने पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी , तहसीलदार रिपोर्ट मय मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शां एवं वकील अप्रार्थी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त RRT 2014 (1) page 40 का ध्यान पूर्वक अवलाकन किया । उपरोक्त बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है की प्रार्थीगण के पास खेत में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट खारिज किया जाता है । पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 27-05-2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अशोक कुमार) उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok K
Date: 2022.06.20 18:22:04
Reason: SelfAttested